

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 351] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 1980/कार्तिक 19, 1902
No. 351] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 1980/KARTIKA 19, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन की रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1980

(केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा. का. वि. 636(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 294/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 सितम्बर, 1977 को अधिमार्गित करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 17 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाले संश्लिष्ट निर्यादक

हागज (इम्प्रेग्नेटेड फिल्टर पेपर) को किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से ऐसे कारखाने के एक या उससे अधिक कारखानों से देशी उपभोग के लिए प्रथम निकासी की बाबत, वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी की गई एक हजार टन की मात्रा तक उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु, इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट, इस अधिसूचना के प्रारम्भ के पश्चात् वित्तीय वर्ष 1980-81 की शेष अवधि के दौरान, इस अधिसूचना के निबन्धनों के अनुसार चार सौ पचास टन की मात्रा तक उक्त हागज की निकासी को लागू होगी ।

[अधि. सं. 175ए/80-के.उ.शु.—फा. सं. 61/59/80-सी एक्स-2]

सी. बालाकृष्ण नायर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 1980

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 294/77-Central Excises dated the 17th September, 1977, the Central Government hereby exempts impregnated filter paper, falling under sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) in respect of the first clearances of such paper for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto a quantity of one thousand tonnes, cleared during a financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that the exemption contained in this notification shall, during the remaining period of the financial year 1980-81 after the commencement of this notification, be applicable to clearances of the said paper upto a quantity of four hundred and fifty tonnes in terms of this notification.

[Notification No. 175A/80-CE—F. No. 61/59/80-CX. 2]

C. N. BALAKRISHNAN NAIR, Under Secy.